प्राधिकृत अनुवाद

2023 का विधेयक संख्या 7 एच.एल.ए.

हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023

संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियन्त्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "दुष्प्रेरण" इसकी व्याकरिणक विविधताओं तथा भाव अभिव्यक्तियों सहित, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं,-

(i) वास्तविक ज्ञान के साथ या विश्वास करने का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई संसूचना या संपर्क कि ऐसा व्यक्ति किसी भी रीति में संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता करने में लगा है;

(ii) संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता करने के लिए उपयुक्त किसी सूचना को किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना पहुंचाता है या प्रकाशन करता है और संगठित अपराध सिंडीकेट से प्राप्त किए गए किसी दस्तावेज या सामग्री को पहुंचाता है या उसका प्रकाशन या वितरण करता है; तथा

(iii) संगठित अपराध सिंडीकेट की कोई मदद करना, चाहे वित्तीय या अन्यथा हो;

(ख) "संहिता" से अभिप्राय है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम2) ;

(ग) "निरन्तर विधिविरुद्ध गतिविधि" से अभिप्राय है, तत्समय लागू किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई गतिविधि, जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध है, जो संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रुप में या ऐसे सिंडीकेट की ओर से या तो अकेले या संयुक्त रुप की गई है, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप -पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के सम्मुख दायर किए गए हैं और उस न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान लिया गया है;

(घ) "संगठित अपराध" से अभिप्राय है, स्वयं या किसी व्यक्ति के लिए धन - संबंधी लाभ प्राप्त करने या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा, हिंसा की आशंका, जबरदस्ती, बलप्रयोग या अन्य विधिविरुद्ध साधनों का प्रयोग करते हुए या विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए या तो किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रुप में या ऐसे सिंडीकेट की ओर से वैयक्तिक, अकेले या संयुक्त रुप से की गई कोई निरन्तर विधिविरुद्ध गतिविधि;

(ङ) "संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग" से अभिप्राय है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, जो संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त सिंडीकेट या गैंग के रुप में या तो अकेले या संयुक्त रुप में कार्यरत है;

(च) “राज्य सरकार” से अभिप्राय है, गृह विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(छ) “विशेष न्यायालय” से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायाय ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः संहिता में दिए गए हैं।

संगठित अपराध के लिए दण्ड ।

3. (1) जो कोई भी संगठित अपराध करता है, तो,

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और न्यूनतम दस लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी किसी संगठित अपराध को करने की साजिश करता या करने का प्रयास करता है या हिमायत करता है, दुष्प्रेरित करता है या जानबूझकर सुकर बनाता है या संगठित अपराध करने की तैयारी के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(3) जो कोई भी किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य को शरण देता है या छिपाता है या शरण देने या छिपाने का प्रयास करता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(5) जो कोई भी, संगठित अपराध करने से व्युत्पन्न या प्राप्त कोई सम्पत्ति रखता है या जो संगठित अपराध सिंडीकेट की निधियों के माध्यम से अर्जित की गई है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम दो लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

अकूत सम्पत्ति रखने के लिए दण्ड।

4. यदि किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास चल या अचल सम्पत्ति का कब्जा है, या किसी समय कब्जे में रही है, जो उसका संतोषजनक रुप से हिसाब नहीं दे सकता, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम एक लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ऐसी सम्पत्ति, धारा 22 में उपबन्धित अनुसार कुर्क तथा समपहरण करने के लिए भी दायी होगी।

विशेष न्यायालय ।

5. (1) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, या ऐसे मामले या मामलों के समूह या वर्ग, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है ।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) मुख्य न्यायमूर्ति, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायालय की अध्यक्षता की जाएगी। मुख्य न्यायमूर्ति, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग

करने के लिए अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकती है।

(4) कोई भी व्यक्ति तब तक किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से तुरन्त पूर्व सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश न हो।

(5) जहां कोई अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों को किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त किया जाता है /किए जाते हैं, तो विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, स्वयं और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों में विशेष न्यायालय के कार्य के वितरण हेतु व्यवस्था कर सकता है और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति के मामले में अति-आवश्यक कार्य के निपटान के लिए भी व्यवस्था कर सकता है ।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता।

6. संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध, केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर इसे किया गया था अथवा धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए गठित विशेष न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विचारणीय होगा।

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्ति ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण के दौरान, विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है, जिसके साथ अभियुक्त, संहिता के अधीन, समरुप विचारण के लिए आरोपित किया जा सकता है, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान, यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया गया है, तो विशेष न्यायालय, ऐसे अन्य अपराध के ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है और इस अपराध के दण्ड हेतु इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत दण्ड के लिए कोई दण्डादेश पारित कर सकता है।

लोक अभियोजक ।

8. (1) प्रत्येक विशेष न्यायालय हेतु, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक के रुप में नियुक्त करेगी और अपर लोक अभियोजक के रुप में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती हैः

परन्तु राज्य सरकार, किसी मामले या मामलों के समूह या वर्ग के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकती है ।

(2) कोई भी व्यक्ति तब तक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रुप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक उसने कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता के रुप में प्रैक्टिस नहीं की हो।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रुप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, सहिंता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थ के भीतर लोक अभियोजक के रुप में समझा जाएगा और इस संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे ।

विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां ।

9. (1) विशेष न्यायालय, तथ्यों, जो ऐसा अपराध गठित करते हैं, की शिकायत की प्राप्ति पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, अपराध के लिए अभियुक्त के प्रतिबद्ध हुए बिना विचारण करने के लिए किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध तीन वर्ष की अनधिक अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, तो विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उप-धारा (1) या धारा 262 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त शैली में अपराध पर विचारण कर सकता है और संहिता की धारा 263 से 265 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण पर लागू होंगेः

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान, विशेष न्यायालय को प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि यह संक्षिप्त शैली में विचारण के लिए अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय, किन्हीं साक्षियों को दोबारा बुला सकता है, जिनका परीक्षण किया जा सकता है और ऐसे अपराध के

विचारण के लिए संहिता के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति में मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और उक्त उपबन्ध, किसी विशेष न्यायालय को और के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी मैजिस्ट्रेट को तथा के संबंध में लागू हैः

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, किसी विशेष न्यायालय के लिए तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) विशेष न्यायालय, किसी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने के दृष्टिगत, जो अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से या गुप्त रुप से तथाकथित है, ऐसे व्यक्ति को अपराध और संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, चाहे अपराध करने में प्रमुख या उकसाने वाला हो, के संबंध में अपने जानकारी की सम्पूर्ण परिस्थितियों का सम्पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करने की शर्त पर क्षमा कर सकता है, और इस प्रकार दी गई क्षमा, संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों हेतु, उसकी धारा 307 के अधीन दी गई समझी जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन हेतु, विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण करेंगे, मानो ये सत्र न्यायालय थे, जहां तक हो सके, किसी सत्र न्यायालय के सम्मुख विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार है ।

विशेष न्यायालय को विचारण की वरीयता होना ।

10. किसी विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण में किसी अन्य न्यायालय (कोई विशेष न्यायालय नहीं होते हुए) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण में वरीयता होगी और ऐसे अन्य मामले के विचारण की वरीयता में निष्कर्ष निकाला जाएगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामलों का विचारण प्रास्थगित हो जाएगा।

नियमित न्यायालयों को मामलों का अन्तरण करने की शक्ति।

11. जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, किसी विशेष न्यायालय की राय है कि अपराध इसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो यह ऐसा होने पर भी कि ऐसे अपराध के विचारण की उसकी अधिकारिता नहीं है, संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय को ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामले का अंतरण करेगा और न्यायालय, जिसको मामले का अन्तरण किया गया है, अपराध के विचारण की कार्यवाही करेगा मानो इसने अपराध का संज्ञान लिया था।

अपील ।

12. (1) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, दण्डादेश या आदेश, अंतर्वर्ती आदेश नहीं होते हुए, के विरुद्ध अपील पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में होगी ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, न्यायनिर्णय, दण्डादेश या आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का लागूकरण ।

13. तार, इलेक्ट्रोनिक और मौखिक संसूचना के अवरोधन के प्रयोजन हेतु, समय-समय पर यथा संशोधित, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध लागू होंगे ।

साक्ष्य के विशेष नियम।

14. (1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या संबंधित अपराधों के विचारण और दण्ड के प्रयोजनों हेतु, विशेष न्यायालय, प्रमाणक मूल्य के रुप में इस तथ्य पर विचार कर सकता है कि अभियुक्त,-

(क) संहिता की धारा 107 या धारा 110 के अधीन किसी पूर्व अवसर पर आबद्ध था;

(ख) निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध था; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में किसी पूर्व अवसर पर अभियोजित किया गया था।

(2) जहां यह सिद्ध हो जाता है कि किसी संगठित अपराध में लिप्त किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी समय चल या अचल सम्पत्ति है या रही है, जिसका वह संतोषजनक रुप से हिसाब नहीं दे सकता, तो विशेष न्यायालय, जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता है, उपधारित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या धन-संबंधी संसाधन उसकी अवैध गतिविधियों द्वारा अर्जित की गई है या व्युत्पन्न की गई है।

(3) जहां यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यपहरण किया है या अपहरण किया है, तो विशेष न्यायालय उपधारित करेगा कि यह फिरौती के लिए था ।

तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन के माध्यम से संगृहित साक्ष्य की स्वीकार्यता ।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या संबंधित अपराधों के विचारण और दण्ड के प्रयोजनों हेतु, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन तार, इलेक्ट्रोनिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन के माध्यम से संगृहित साक्ष्य, किसी मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रुप में स्वीकार्य होगाः

परन्तु वहां से प्राप्त अवरोधित किसी भी तार, इलेक्ट्रांनिक या मौखिक संसूचना की अंर्तवस्तु या साक्ष्य को किसी भी न्यायालय में तब तक किसी भी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रुप में प्राप्त नहीं किया जाएगा या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा , जब तक प्रत्येक अभियुक्त को विचारण, सुनवाई या कार्यवाही से कम से कम दस दिन पूर्व, पूर्वोक्त विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति नहीं पहुंचा दी जाती, जिसके अधीन अवरोधन का निर्देश दिया गया थाः

परन्तु यह और कि मामले का विचारण करने वाला न्यायाधीश दस दिन की अवधि अधित्यक्त कर सकता है, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त को विचारण, सुनवाई या कार्यवाही से दस दिन पूर्व ऐसा आदेश पहुंचाना सम्भव नहीं था और कि अभियुक्त पर ऐसा आदेश विलम्ब से प्राप्त करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेंगा ।

पुलिस अधिकारी के सम्मुख कतिपय संस्वीकृतियों को विचार में लेना।

16. (1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, के सम्मुख किसी व्यक्ति द्वारा की गई और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा या तो लिखित में या किन्हीं यन्त्रों जैसे कैसेटस, टेपस, या साउंड ट्रैक, जिससे सांउड या तस्वीरें पुनः उदधृत की जा सकती है, द्वारा रिकार्डिड की गई संस्वीकृति, विशेष न्यायालय की समीक्षा और निष्पक्ष संतुष्टि के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति, सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यन्त्रकर्ता के विचारण के लिए स्वीकार्य होगीः

परन्तु सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यन्त्रकर्ता, अभियुक्त के साथ उसी मामले में आरोपित और विचारित किए गए होः

परन्तु यह और कि संस्वीकृति, किसी मुक्त वातावरण में उसी भाषा में, जिसमें व्यक्ति का परीक्षण किया गया हो तथा जैसा उसके द्वारा बताया गया हो, अभिलिखित की जाएगी तथा संस्वीकृति की रिकार्डिंग की प्रक्रिया की अनिवार्य रुप से वीडियोग्राफी भी की जाएगी ।

(2) पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व, ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करेगा कि वह कोई संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसे उसके विरुद्ध साक्ष्य के रुप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा ऐसा पुलिस अधिकारी कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के प्रश्न करने पर उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है कि यह स्वैच्छिक रुप से की जा रही है । सम्बद्ध पुलिस अधिकारी, ऐसी स्वैच्छिक संस्वीकृति अभिलिखित करने के बाद, संस्वीकृति के नीचे लिखित में ऐसी

संस्वीकृति के स्वैच्छिक स्वरुप की अपनी वैयक्तिक संतुष्टि बारे उस पर तिथि और समय अंकित करते हुए प्रमाणित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति उस क्षेत्र, जिसमें ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित की गई है, की अधिकारिता रखने वाले मुख्य मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जाएगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय, जो अपराध का संज्ञान ले सकता है, को इस प्रकार अभिलिखित संस्वीकृति भेजेगा ।

(4) व्यक्ति, जिसकी कोई संस्वीकृति उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित की गई है, को उस मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे अनुचित विलम्ब के बिना लिखित या यान्त्रिक यन्त्र पर रिकार्डिड संस्वीकृति के मूल कथन सहित उपधारा (3) के अधीन संस्वीकृति भेजी जानी अपेक्षित है।

(5) मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किए गए अभियुक्त द्वारा किए गए कथन, यदि कोई हो, को ईमानदारी से अभिलिखित करेगा और उसके हस्ताक्षर लेगा तथा उत्पीडन की किसी शिकायत की दशा में, व्यक्ति को, चिकित्सा अधिकारी, जो सहायक सिविल सर्जन की पदवी से नीचे का न हो, के सम्मुख चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगा ।

साक्षियों का संरक्षण ।

17. (1) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां कैमरे के सामने की जाएगी, यदि विशेष न्यायालय ऐसा चाहे ।

(2) विशेष न्यायालय, इसके सम्मुख किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसे उपाय कर सकता है, जो यह किसी साक्षी की पहचान और पते को गोपनीय रखने के लिए उचित समझे ।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपायों, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकता है, में निम्नलिखित को भी शामिल कर सकता है -

(क) विशेष न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाने वाले स्थान पर कार्यवाहियां करना;

(ख) इसके आदेशों या न्यायनिर्णयों में या जन-साधारण की पहुंच में किसी मामले के किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नामों और पतों को वर्णित करने से बचना;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश को जारी करना साक्षियों की पहचान और पतों का प्रकटीकरण न हो;

(घ) यह लोकहित में है कि ऐसे न्यायालय के सम्मुख लम्बित ऐसे सभी या किन्हीं कार्यवाहियों को किसी रीति में प्रकाशित नहीं करवाएगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने, जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

सम्पति की कुर्की

18. (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट विश्वास का कारण रखता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई सम्पत्ति, चाहे चल या अचल, इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध के करने के फलस्वरुप उपार्जित की गई है, वह ऐसी सम्पत्ति के कुर्की के आदेश कर सकता है, चाहे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध को संज्ञेय ठहराया गया है या नहीं ।

(2) संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट उप-धारा (1) के अधीन कुर्क की गई किसी सम्पत्ति के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है तथा प्रशासक को इसके सर्वोत्तम हित में ऐसी सम्पत्ति का प्रबन्धन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी सम्पत्ति के समुचित तथा प्रभावी प्रबन्धन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता प्रदान कर सकता है।

सम्पत्ति की निर्मुक्ति । 19. (1) जहां धारा 18 के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की की जाती है, तो सम्पत्ति का दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी की तिथि से तीन मास के भीतर, परिस्थितियों, जिनमें तथा साधन, जिससे उसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का उपार्जन किया गया है, को दर्शाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन कर सकता है ।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन किए गए दावे की प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है, तो वह तुरन्त संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करेगा और इसके पश्चात् ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी ।

न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के स्वरुप की जांच 20. (1) जहां धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई प्रतिवेदन नहीं किया जाता है या धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, तो वह अपनी रिपोर्ट सहित मामला इस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की करने से इनकार कर दिया है या धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन किसी सम्पत्ति को निर्मुक्त करने के लिए आदेश किया है, तो ऐसे इनकार अथवा निर्मुक्त से व्यथित राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय को जांच के लिए आवेदन कर सकता है कि क्या सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराध द्वारा या करने के फलस्वरुप अर्जित की गई थी । ऐसा न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो ऐसी सम्पत्ति की कुर्की के आदेश कर सकता है।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन संदर्भ या उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, न्यायालय जांच के लिए तिथि नियत करेगा तथा उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति या धारा 19 के अधीन निवेदन करने वाले व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो तथा राज्य सरकार और ऐसे व्यक्ति, जिसका इस मामले में हित जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, को नोटिस देगा ;

(ख) इस प्रकार नियत तिथि या बाद की तिथि, जिसके लिए जांच स्थगित की गई पर, को न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य प्राप्त करेगा, ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य, जो वह आवश्यक समझे, मांगेगा, निर्णय करेगा कि क्या संपत्ति किसी गैंगस्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराध करने के फलस्वरुप अर्जित की गई थी तथा धारा 18 के अधीन ऐसा आदेश पारित करेगा, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो ।

(4) उपधारा (3) के अधीन जांच के प्रयोजन हेतु, न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते हुए निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थातः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उपस्थिति कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों के अन्वेषण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;

(च) चूक के लिए किसी संदर्भ को खारिज करना या इस पर एकपक्षीय निर्णय लेना;

(छ) चूक के लिए खारिज या एकपक्षीय निर्णित किसी आदेश को अपास्त करना;

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि पश्नगत संपत्ति या उसका कोई भाग गैंगस्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध के करने के फलस्वरुप अर्जित नहीं किया गया, सम्पत्ति का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा ।

जांच के बाद आदेश 21. यदि ऐसी जांच के उपरान्त, न्यायालय समझता है कि सम्पत्ति, इस अधिनियम के

अधीन विचारणीय किसी अपराध के करने के फलस्वरुप अर्जित नहीं की गई थी, तो वह, उस व्यक्ति, जिसके कब्जे से इसकी कुर्की की गई थी, की सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश करेगा । किसी अन्य मामले में, न्यायालय ऐसा आदेश कर सकता है, जो वह कुर्की, जब्ती या उसके कब्जे के हकदार किसी व्यक्ति को सुपुर्दगी द्वारा सम्पत्ति के निपटान के लिए या अन्यथा से उचित समझे ।

सम्पत्ति की समपहरण तथा कुर्की ।

22. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दण्डनीय किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, तो विशेष न्यायालय, लिखित में आदेश द्वारा, किसी भी दण्ड को देने के अतिरिक्त, यह घोषणा कर सकता है कि कोई भी संपत्ति, चल या अचल या दोनों, अभियुक्त से संबंधित हैं और आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, तो सभी ऋणभारों से मुक्त राज्य सरकार में समपहृत हो जाएंगी ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तो विशेष न्यायालय उसका विचारण करते हुए आदेश पारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा कि उससे संबंधित सभी या किन्हीं सम्पत्तियां, चल या अचल या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का समापन दोषसिद्धि के रुप में होता है, तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्तियां सभी ऋणभारों से मुक्त राज्य सरकार में समपहृत हो जाएंगी ।

(3) (क) यदि, किसी अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में की गई रिपोर्ट पर, कोई विशेष न्यायालय विश्वास का कारण रखता है कि कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है, भगोड़ा हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है ताकि वह गिरफ्तार न हो सके, तो ऐसा न्यायालय, संहिता की धारा 82 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट स्थान पर तथा कम से कम पन्द्रह दिन, किन्तु घोषणा के प्रकाशन के तीस दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट समय पर उसे पेश होने की अपेक्षा करने वाली लिखित घोषणा प्रकाशित करवा सकता हैः

परन्तु यदि सम्बद्ध अन्वेषण पुलिस अधिकारी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के दर्ज होने की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर अभियुक्त, जो भगोड़ा हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है, को गिरफ्तार करने में असफल रहता है, तो अधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति पर, उद्घोषणा जारी करने के लिए विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला विशेष न्यायालय, किसी भी समय उद्धोषित व्यक्ति से संबंधित किसी भी सम्पत्ति, चल या अचल या दोनों, की कुर्की के आदेश कर सकता है और ऐसा होने पर ऐसी कुर्की के बारे में संहिता की धारा 83 से 85 के उपबन्ध लागू होंगे, मानो ऐसी कुर्की संहिता के अधीन की गई थी;

(ग) यदि, कुर्की की तिथि से छह मास के भीतर, कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति संहिता की धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार के निपटान पर है या रही है, स्वेच्छा से पेश होता है या गिरफ्तार किया जाता है और विशेष न्यायालय, जिसके आदेश द्वारा सम्पत्ति को कुर्क किया गया था या ऐसे न्यायालय, जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है, के समक्ष लाया जाता है और ऐसे न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए सिद्ध करता है कि वह गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से फरार नहीं हुआ या स्वयं को छिपाया नहीं और उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी, जिससे कि वह निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में सक्षम हो, तो ऐसी संपत्ति या यदि उसे बेच दिया गया है, तो उसके शुद्ध आगम और संपत्ति का शेष भाग, कुर्की के परिणामस्वरुप उपगत सभी लागतों को पूरा करने के बाद, उसे सौंप दिया जाएगा ।

संहिता के कतिपय उपबंधों के उपांतरित आवेदन ।

23. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध, संहिता की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थ के भीतर किसी संज्ञेय अपराध के रुप में समझा जाएगा और उस खण्ड में यथा परिभाषित "संज्ञेय मामले" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(2) संहिता की धारा 167, उसकी उपधारा (2) में निम्नलिखित उपांतरणों के

अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध वाले किसी मामले के संबंध में लागू होंगे कि-

(क) "पंद्रह दिन" तथा "साठ दिन" जहां कहीं भी आए हैं, के संदर्भों का अर्थ क्रमशः"तीस दिन" तथा "नब्बे दिन" के संदर्भों के रुप में लगाया जाएगा;

(ख) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण को पूरा करना संभव नहीं है, तो विशेष न्यायालय, अन्वेषण की प्रगति और नब्बे दिन की उक्त अवधि के बाद अभियुक्त के निरोध के विशिष्ट कारणों को दर्शाने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक बढाएगा।

(3) संहिता की धारा 438 की कोई भी बात, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के दोषारोपण पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वाले किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(4) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध के किसी भी अभियुक्त व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, को तब तक जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि -

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन के विरोध का कोई अवसर नहीं दिया गया हो; तथा

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, विशेष न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा किसी अपराध को करना संभाव्य नहीं है ।

(5) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाएगी, यदि विशेष न्यायालय के ध्यान में यह आता है कि वह प्रश्नगत अपराध की तिथि को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में जमानत पर था ।

(6) जमानत प्रदान करते समय, उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट जमानत प्रदान करने की परिसीमाएं, संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं ।

(7) न्यायिक अभिरक्षा से अभ्यारोपण से पूर्व या विचारण से पूर्व पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति की अभिरक्षा की मांग करने वाला पुलिस अधिकारी, ऐसी अभिरक्षा मांगने के कारण और पुलिस अभिरक्षा की मांग करने में विलम्ब, यदि कोई हो, के बारे में भी कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित कथन दायर करेगा।

धारा 3 के अधीन अपराधों के रुप में उपधारणा ।

24. (1) धारा 3 के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि-

(क) अभियुक्त के कब्जे से दस्तावेजों या पेपरों सहित विधिविरुद्ध शस्त्र तथा अन्य सामग्री बरामद की गई थी और विश्वास करने का कारण है कि दस्तावेजों या पेपरों सहित ऐसे विधिविरुद्ध शस्त्र तथा अन्य सामग्री को ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त किया गया था ; या

(ख) किसी विशेषज्ञ के साक्ष्यों से, अभियुक्त की अंगुलियों के निशान अपराध के स्थल पर या विधिविरुद्ध शस्त्र या अन्य सामग्री सहित दस्तावेजों या पेपरों और ऐसे अपराध के करने के संबंध में प्रयुक्त किए गए वाहन पर पाए गए थे,

तो विशेष न्यायालय यह उपधारित करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था जब तक कि वह प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता है।

(2) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के किसी अपराध के अभियोजन में यदि यह सिद्ध हो जाता है कि संगठित अपराध के किसी अपराध के किसी अभियुक्त या प्रतियुक्त संदेहप्रद व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता अभियुक्त द्वारा दी गई थी, तो विशेष न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उप-धारा (2) के अधीन अपराध किया है, जब तक कि वह प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता है ।

अपराध का संज्ञान तथा अन्वेषण ।

25. (1) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, -

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध वाले अपराध को करने के बारे में, पुलिस अधिकारी, जो उप पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना अभिलिखित नहीं की जाएगी;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण, पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी विशेष न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

लोक सेवकों के लिए दण्ड ।

26. जो कोई भी लोक सेवक होते हुए धारा 2 के खण्ड (ड़) में यथा परिभाषित संगठित अपराध को करने में, चाहे संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य द्वारा किसी अपराध को करने से पूर्व या के बाद किसी भी रीति में कोई सहायता या समर्थन करता है या इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण उपायों को करने से बचता है या इस संबंध में किसी न्यायालय के या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों को कार्यान्वित करने से जानबूझकर टलता है, तो ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में कार्यवाही का नहीं होना ।

27. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रुप से उपबन्धित के सिवाए, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और न कि अल्पीकरण में, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रुप से उपबन्धित प्रयोजनों के अलावा, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रुप से उपबन्धित से अन्यथा उपबन्धों में किसी असंगति के मामले में, केन्द्रीय अधिनियमों के उपबन्धों का असंगति की सीमा तक अधिभावी प्रभाव होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

28. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं हो सकेगी ।

उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति

29. पंजाब तथा हरियणा उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकता है, जो यह विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे ।

राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति

30. (1) धारा 29 के अधीन नियम बनाने की पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा ।

<u>उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण</u>

हरियाणा में अपराध के रुझानों के अध्ययन से पता चला है कि पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है । पहले व्यक्ति विशेष अथवा समूह द्वारा जघन्य अपराध जैसे हत्या, डकैती, अपहरण और जबरन वसूली किए जाते थे, लेकिन पिछले एक दशक में हरियाणा में गैंगस्टर और संगठित अपराध का प्रचलन हुआ है। नई उम्र के अपराधियों के गिरोहों ने एक संगठित आपराधिक अद्यम के रुप में जीवन जीना शुरु कर दिया है।

ऐसे उदाहरण सामने आए है कि हरियाणा के कुछ जिलों में सक्रिय, संगठित आपराधिक गिरोहों ने अपराधियों का एक संगठित नेटवर्क स्थापित कर लिया है, जिनमें शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचना देने वाले और हथियार आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। अच्छी तरह परिभाषित सदस्यता और पदानुक्रम के साथ उचित रुप से ये गिरोह मुख्य रुप से सुपारी हत्याओं, व्यावसायियों को धमकी देकर जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा रैकेट्स आदि पर ध्यान केंन्द्रिय कर रहे हैं, जिनमें भारी लाभ मिलने की संभावना होती है। ये गिरोह संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अपराध करते हैं, अपने सहयोगियों की देखभाल करते हैं जो जेल में हैं, महंगे आपराधिक मुकदमें लड़ने वाले वकीलों की सेवाएं लेते है और गवाहों को मारते हैं जो उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करते हैं।

इस तरह के अपराधी आपराधिक कानून और प्रक्रिया के सुधार और पुर्नवास संबंधी पहलुओं का भी फायदा उठाते हैं और आगे अपराध करने के लिए हिरासत से रिहा हो जाते हैं। कुछ समय में ही ये गिरोह जनता में अपनी एक डरावनी छवि बना लेते हैं। इस तरह की छवि व्यापारियों और उद्योगतियों से सुरक्षा के बदले धन की उगाही में इन गिरोहों की मदद करती है, इस प्रकार यह उनके खजानों को भरती है।

यह नीति निर्माताओं और आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिन्ता का विषय है कि वे इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में पहले से ही विशेष कानून बनाए गए है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य ने 1999 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू किया था, जिसे बाद में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने भी अपनाया । उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्य ने भी अपने संबंधित अधिनियम बनाए हैं।

हरियाणा राज्य में संगठित अपराध की उभरती स्थिति के मद्देनजर, यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य में भी इसी प्रकार का कानून लागू किया जाए जो गैंगस्टर्स, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता हो। इस तरह के मजबूत कानून के द्वारा अपराधियों के खिलाफ ठोस और निवारक लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सशक्त बनाएंगे । ऐसे अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमों से निपटने के लिए विशेष अदालतों और विशेष अभियोजकों की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रावधानों को भी लागू करने की आवश्यकता है ।

अनिल विज,
गृह मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः
दिनांक **21** मार्च, **2023**

आर. के. नांदल,
सचिव।

<u>प्रत्यायोजित ज्ञापन</u> <u>के बारे</u>

विधेयक के खण्ड 29 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा, ऐसे नियम बना सकती है, जो यह विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे।

विधेयक के खण्ड 30 के उप-खण्ड (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।